न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2023-39Ju2023-22 Hanif ors Vs Sadik etc

---

01. हनीफ खां पुत्र हकीम खां,
02. बालम खां पुत्र हकीम खां,
03. छोटु खां उर्फ अलाबक्स पुत्र हकीम खां,
04. फाजलदीन पुत्र हकीम खां,
05. आबू खां पुत्र हकीम खां,
06. गनी खां पुत्र हकीम खां,
07. नूरखातुन पत्नी हकीम खां,

जातियान् सिन्धी मुसलमान, निवासीगण-ग्राम भाखरिया, तहसील बाप, जिला जोधपुर, राज.।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. सदीक पुत्र मुस्ताक,
02. बशीर पुत्र मुस्ताक,
03. शकूर पुत्र यारू खां,
04. मेहरदीन पुत्र यारू खां,
05. समसुदीन पुत्र यारू खां,
06. जमालदीन पुत्र यारू खां,
07. नेकू खां पुत्र इस्माईल खां,
08. सेखू खां पुत्र जुसुब खां,
09. सफी मोहम्मद पुत्र जुसुब खां,
10. अब्दुल अजीज पुत्र जुसुब खां,
11. मोहम्मद कासम पुत्र जुसुब खां,
12. फतेह खातु पत्नी जुसुब खां,

    जातियान् मुसलमान, निवासी-ग्राम शेखासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

13. अली खां पुत्र इस्माईल खां, जाति मुसलमान, निवासी-ग्राम भाखरिया, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 21 दिसंबर 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2022 सदीक व अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बनाम हकीम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से ग्यारह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या चौदह

नि र्ण य

दिनांक : 16 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2021 सदीक व अन्य बनाम हकीम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 21 दिसंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 20 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम शेखासर, तहसील बाप जिला जोधपुर के नये राजस्व ग्राम भाखरिया के खसरा नम्बर 1109, 1110, 1111, 1112, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135 आये हुए हैं तथा ग्राम शेखासर के खसरा नम्बर 554, 555 आये हुए है, जिसके हिस्से अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा अपने1/6 हिस्से के बंटवाडा की मांग की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर किये जाने के बाद प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण के वाद को स्वीकार करते हुए 1/6 हिस्से के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाया जाने की निर्णय व डिकी दिनांक 03.03.2009 को जारी की गई। तत्पश्चात् बंटवाडा प्रस्ताव पत्रावली पर मंगवाया गया तथा दिनांक 18.03.2010 को अंतिम निर्णय व डिकी जारी की गई जिसके अपीलार्थीगण के बंट में खसरा संख्या 1109, 1110, 1111 व 554 में से कुल23 बीघा 08 बिस्वा भूमिबंट में रखी गई। प्रत्यर्थीगण द्वारा अंतिम डिकी से व्यथित होकर एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 16/2010 दिनांक 23.11.2012 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मामला पुनः बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाया जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना नही करते हुए पुनः प्रारम्भिक डिकी दिनांक 30.09.2021 को जारी कर दी, जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2022 को अपील स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 30.09.2021 को निरस्त कर दिया तथा मामला पूर्व में जारी निर्देश दिनांक 27.11.2012 के अनुसार निस्तारित करने का निर्देश जारी किया गया। इसी दौरान् प्रत्यर्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.02.2022 को प्रस्तुत किया था तथा निर्णय व डिकी दिनांक 18.03.2010 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1466, 204, 205, 206 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर दिनांक 19.10.2022 को जवाब का समय जाने के बावजूद प्रकरण में बहस सुनते हुए आदेश के लिये पत्रावली नियत कर दी तथा दिनांक 21.12.2022 को प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने का आदेश पारित करते हुए राजस्व अभिलेख की पूर्व स्थिति कायम किये जाने का आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण को आपत्ति व जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नही दिये जाने के कारण अपीलार्थीगण अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर सके जिस कारण भी आलौच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अपास्त व निरस्त किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णयों की अनदेखी करते हुए कि प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री आज दिन तक बहाल है तथा केवल 1/6 हिस्से के बंटवाडा प्रस्ताव को पुनः मंगवाया जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसका राजस्व रेकर्ड से कोई लेना देना नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर ही नही दिया गया तथा प्रकरण में इस विधिक सिद्धान्त की अनदेखी करते हुए कि डिक्री से किसी पक्षकार के अधिकार तय नही होने है इसलिये पूर्व आदेश की पालना आवश्यक नही है तथा मामला भी माननीय न्यायालय से प्रतिप्रेषित किया गया था इसलिये धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही था इस कारण आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 दिसंबर 2022 को निरस्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्तागण-रेस्पो. ने कथन किया कि माननीय द्वारा द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किये जाने पर रेस्पो. की ओर से पूर्व निर्णय एवं डिक्री की पालना में भरे गये नामांतरकरण को निरस्त किये जाने एवं वादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पूर्व स्थिति बहाल किये जाने का विधिसम्मत आदेश पारित किया हैं। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये ऐसा कोई मत प्रतिपादित नहीं किया है, जिससे अपीलांट्स के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में वाद संख्या 52/2005 में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18 मार्च 2010 के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील दिनांक 23 मार्च 2010 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 मार्च 2010 निरस्त किये जा चुके है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये पूर्व निर्णय एवं डिक्री की पालना में राजस्व रेकर्ड में किये गये अमल दरामद को निरस्त कर पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के निर्देश दिये गये है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा कोई मत प्रतिपादित नहीं किया गया है, जिससे मामले के गुणावगुण एवं अपीलांट्स के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े। इन परिस्थितियो में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

वस्तुतः अपील अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2021 सदीक व अन्य बनाम हकीम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 21 दिसंबर 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर